अति तत्काल

आर टी आई मामला

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. ए. 42012/65/2013-प्रशा.II

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई, 2014

सेवा में

श्रीमती शीतल सागर,
3286/87, आर्य पुरा
सब्जी मण्डी, दिल्ली-110007

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदया,

कृपया इस अनुभाग में दिनांक 18.06.2014 को प्राप्त अपने दिनांक 30.05.2014 के आर टी आई आवेदन का अवलोकन करें जो आऊटसोर्स कर्मचारियों (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) के बारे में सूचना मांगे जाने के संबंध में है। आपके द्वारा उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में बिन्दु-वार उत्तर/सूचना निम्नानुसार है:-

1. अपेक्षित संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया कराने के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेका प्रदान किया जाता है।
2. एवं 4. गृह मंत्रालय और फर्म के बीच हुए समझौते के अनुसार, "ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी श्रम कानूनों का अनुपालन भी करेगा जिसमें यथा निर्धारित अथवा किसी कानून के तहत वेतन का भुगतान शामिल है।" इसलिए यह समय-समय पर अलग-अलग होता है।
3. यह मंत्रालय फर्म को समेकित भुगतान करता है जिसमें फर्म द्वारा दी गई बोली के अनुसार ई पी एफ, ई एस आई, सेवा प्रभार तथा अन्य प्रभार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, समझौते के

अनुसार, ठेकेदार वर्तमान कानूनों के तहत सभी सांविधिक एवं विधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य है।

5. डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से नहीं नियुक्त किया जाता है।

6. इसमें मांगी गई सूचना में फर्म को किए गए मासिक भुगतान के रिकॉर्डों से उन आकडों का संग्रहण तथा संकलन शामिल है, जिसके कारण इस मंत्रालय के संसाधनों का अनुचित विचलन होगा जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यक्षेत्र के तहत कवर नहीं होता है।

7. इस मंत्रालय द्वारा किए गए समझौते के अनुसार, केवल स्नातक अथवा इससे ऊपर की योग्यता वाले डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्त किया जाता है।

8. न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार, यह मंत्रालय फर्म के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध करता है।

9. इस मंत्रालय ने विभिन्न टंकण तथा डाटा एंट्री संबंधी कार्यों के लिए आऊटसार्स कर्मचारियों (डाटा एंट्री ऑपरेटरों) को तैनात किया है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस मामले के संबंध में अपील प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशा.), गृह मंत्रालय, कमरा सं. 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 हैं और अपील, यदि कोई हो, तो इस उत्तर के जारी होने के 30 दिन के भीतर की जा सकती है।

भवदीय

वी.के. राजन

(वी.के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23094376

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(5) अनुभाग अधिकारी, आर टी आई अनुभागा, गृह मंत्रालय को उनके दिनांक 12.06.2014 के का.ज्ञा. सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के संदर्भ में।

(6) अनुभाग अधिकारी, आई टी को 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के तहत गृह मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए आर टी आई आवेदन की प्रति के साथ ।

4141/RTI/MHA/2014
10/6/14

दिनाक – 30.05.2014

सेवा में,

सी.पी.आई.ओ.,
गृह मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली -110001

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
09 JUN 2014
के.र.सं.......
CR. No. 648
.... CR Section/North Block

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

महोदय,

मैं श्री विभाग से निमनलिखित बाते जानना चाहती हूँ :

1 • मैं विभाग से यह जानना चाहती हूँ कि ठेकेदार के द्वारा जो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाते है। उन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को भर्ती करने की प्रतिक्रिया क्या है ?

2 • डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कितना वेतन दिया जाता है और जो वेतन दिया जाता है क्या वह भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार की न्यून्तम वेतन के अनुसार दिया जाता है ?

3 • डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के वेतन में से कर्मचारी राज्य बीमा निगम फंड और ईपीएफ फंड में उसके वेतन का कितना प्रतिशत अंशदान लिया जाता है तथा ठेकेदार के द्वारा कितना प्रतिशत दिया जाता है तथा ठेकेदार को सेवा कर कौन देता है और कैसे ? इसकी पूर्ण प्रतिक्रिया बताये अथवा ठेकेदार के द्वारा ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा पूर्णरूप से ना देने पर विभाग द्वारा ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की जाती है ? यह बताया जाये, क्या इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है, आपके विभाग में । यदि हॉ तो विवरण दें ।

4 • दिल्ली सरकार द्वारा महंगाई भत्ता साल में 2 बार दिया जाता है, मैं विभाग से जानना चाहती हूँ कि विभाग में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को इस सुविधा का लाभ मिलता है या नही, यदि हॉ तो कैसे, अगर नही तो क्यों नही और इसके विरुद्व क्या कार्यवाही की जाती है ये बताये ?

30 (Ad-II)

5 • क्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सरकारी एजेंसी के द्वारा ही रखे जाते है । यदि हॉ तो कैसे और यदि नही तो क्यों ?

6 • मैं विभाग से जानना चाहती हूँ कि विभाग द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को पिछले 5 सालों में वेतन क्या और कैसे दिया गया है।

7 • विभाग में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को विभाग ने किस श्रेणी में रखा है। कौशल/अकुशल/स्नातक, 12वी पास और मैं विभाग से यह भी जानना चाहती हूँ कि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को दिया जा रहा वेतन उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही दिया जा रहा है या नही।

8 • क्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की प्रत्येक वर्ष वेतन बढोतरी होती है, यदि हॉ तो किस आधार पर और यदि नही तो कारण बतायें ?

9 • डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की विभाग में कार्य क्या होता है, क्या सिर्फ कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्य होता है या अन्य कोई और कार्य भी लिया जाता है।

धन्यबाद,

भवदीय

शीतल सागर

श्रीमती शीतल सागर

3286/87, आर्य पुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली - 110007

Enclose: - I.P.O No. 13 F, 859902 Dated – 29.05.5014, Rs/10